



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना शेरकोट

दिनांक 21.02.2024

थाना शेरकोट पुलिस ने मु0अ0सं0 39/2024 धारा 429 भादवि व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 20.02.2024 को वादी ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि अभियुक्त अभिषेक पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम वाजीदपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ने सडक पर घूम रहे सांड को बल्लम (भाला) मार दिया जिससे सांड की मृत्यु हो गई । तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 39/2024 धारा 429 भादवि व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अभिषेक पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम वाजीदपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

अभिषेक पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम वाजीदपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 सुभाष कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 166 अंकुर पंवार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 1363 रामकुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ

दिनांक 21.02.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा चेकिंग को दौरान हिस्ट्रीशीटर सोमपाल उर्फ सोनू पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम हिदायतपुर चौहडवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना अफजलगढ



पर मु0अ0सं0 53/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्त सोमपाल थाना अफजलगढ का एक हिस्ट्रीशीटर है जिसके विरुद्ध थाना अफजलगढ पर एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

सोमपाल उर्फ सोनू पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम हिदायतपुर चौहडवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

एक अवैध चाकू

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सोमपाल उर्फ सोनू:-

- 1.मु0अ0सं0 216/2019 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 2.मु0अ0सं0 31/2022 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 3.मु0अ0सं0 190/2020 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 4.मु0अ0सं0 143/2022 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 5.मु0अ0सं0 55/2019 धारा 60/72 आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 6.मु0अ0सं0 212/2023 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 7.मु0अ0सं0 403/2018 धारा 60 आबकारी अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 8.मु0अ0सं0 278/2022 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

- 9.मु0अ0सं0 327/2019 धारा 60 आबकारी अधि0 व धारा 272 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 10.मु0अ0सं0 327/2020 धारा 323/504/506 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 11.मु0अ0सं0 291/2022 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 12.मु0अ0सं0 53/2024 धारा 4/25 आम्स एक्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.हे0का0 662 प्रशान्त कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 540 आसिफ अली थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 2106 सुरेश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 21.02.2024

थाना नहतौर पुलिस ने मु0अ0सं0 58/24 धारा 307/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 20.02.2024 को वादी श्री रोहित पुत्र मुकेश कुमार निवासी मौ0 जोशियान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.कपिल, 2.प्रमोद पुत्रगण हरपाल, 3.लक्ष्मी पत्नी हरपाल व 4.हरपाल पुत्र नन्हे निवासीगण मौ0 जोशियान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा आरोपी कपिल ने वादी के ऊपर जान से मारने के नियत से फावड़े से वार कर घायल कर दिया एवं वादी के चाचा गणेश के साथ भी मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गयी । तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 58/24 धारा 307/323/504/506 भादवि बनाम कपिल आदि उपरोक्त कुल 04 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद मे अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.02.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 58/24 धारा 307/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित मुख्य अभियुक्त कपिल पुत्र हरपाल निवासी मौ0 जोशियान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा बरामद किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कपिल पुत्र हरपाल निवासी मौ0 जोशियान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक फावड़ा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 584 संदीप थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 3.हे0कां0 797 सचिन मलिक थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना चांदपुर

दिनांक 21.02.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 90/2024 धारा 392/504 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 20.02.2024 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त सोनू पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम बसेडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व इसके साथी अभियुक्तों द्वारा वादी के साथ गाली गलौच करते हुए मोबाइल फोन छीन लिया । तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 90/2024 धारा 392/504 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा चेकिंग को दौरान उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सोनू पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम बसेडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को वादी से छीने गए मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गई । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

सोनू पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम बसेडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण:-

वादी का मोबाइल फोन ।

अभियुक्त सोनू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 469/20 धारा 147/384/427/506/120बी भादवि0 थाना गजरौला अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 237/23 धारा 452/504/506 भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 46/21 धारा 323/504 भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
4. मु0अ0सं0 90/24 धारा 392/504/411 भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
2. हे0का0 621 भूदेव थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
3. का0 1879 हिमांशु भडाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक 21.02.2024

थाना स्योहारा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 73/2024 धारा 307 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.02.2024 को वादी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.समी पुत्र रईश निवासी मौ0 अहाता कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर, 2.फैजी उर्फ गोली पुत्र मास्टर जावेद उर्फ भूरे निवासी मौ0 मिल्कियान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर व 3.रफी पुत्र अल्लाहु निवासी मौ0 कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र पर जान से मारने की नियत से हमला किया गया । तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 73/2024 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त समी पुत्र रईश निवासी मौ0 अहाता कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त कैची सहित गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

समी पुत्र रईश निवासी मौ0 अहाता कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण:-

घटना में प्रयुक्त कैची ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. व0उ0नि0 श्री सुरजीत सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 श्री कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
3. हे0का0 360 बृजपाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात

दिनांक – 21.02.2024

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने दो वारंटी अभियुक्तों को एक-एक अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.02.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1.शानू पुत्र बुन्दू निवासी मौ० रजा कॉलोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर व 2.नदीम पुत्र बुन्दू निवासी ग्राम अकबराबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को एक-एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु०अ०सं० 44/2024 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम बनाम शानू व मु०अ०सं० 45/2024 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम बनाम नदीम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.शानू पुत्र बुन्दू निवासी मौ० रजा कॉलोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 2.नदीम पुत्र बुन्दू निवासी ग्राम अकबराबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी –

02 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-उ०नि० विजय कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 2-उ०नि० विनोद कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 3-हे०कां० 622 संजय कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 4-कां० 1384 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 5-कां० 21 विकास कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 6-कां० 1564 विपिन कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात

दिनांक – 21.02.2024

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 53/24 धारा 307/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 20.02.2024 को वादी श्री शमीम पुत्र अब्दुल वहीद निवासी ग्राम टाण्डामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि दिनांक 19.02.2024 को अभियुक्तगण 1.आबिद 2.जाबिर पुत्रगण जमीर 3.उस्मान पुत्र जाबिर व 4.आरिफ पुत्र आबिद निवासीगण ग्राम टाण्डामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादी के परिजनो के साथ गाली-गलौच की गयी तथा वादी के भतीजे सलीम के साथ जान से मारने की नियत से लाठी-डंडो से मारपीट की गयी जिससे सलीम घायल हो गया। तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 53/24 धारा 307/504/506 भादवि बनाम आबिद आदि उपरोक्त कुल 04 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.02.2024 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 53/24 धारा 307/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त उस्मान पुत्र जाबिर निवासी ग्राम टाण्डामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

उस्मान पुत्र जाबिर निवासी ग्राम टाण्डामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री बबलू सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 31 अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 3.कां0 2020 विनय कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ

दिनांक – 21.02.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने दो अभियुक्तों 30 लीटर अवैध कच्ची शराब, 25 पैकेट अपमिश्रित शराब, 5 किग्रा यूरिया व अन्य सामान सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण मंगल सिंह उर्फ मंगी पुत्र पाला सिंह व पूरन सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी गण ग्राम भोगपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर को 30 लीटर कच्ची शराब, 25



पैकेट अपमिश्रित शराब, 05 किग्रा यूरिया, 125 पन्नी की थैलिया, प्लास्टिक की बाल्टी व मग्गा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 54/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम व धारा 272 भादवि पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. मंगल सिंह उर्फ मंगी पुत्र पाला सिंह निवासी ग्राम भोगपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर
2. पूरन सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम भोगपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

30 लीटर कच्ची शराब, 25 पैकेट अपमिश्रित शराब, 05 किग्रा यूरिया, 125 पन्नी की थैलिया, प्लास्टिक की बाल्टी व मग्गा।

अभियुक्त मंगल सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 67/18 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बढापुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 112/18 धारा 60/72 आबकारी अधि0 थाना बढापुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 114/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बढापुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 88/19 धारा 60 (1) आबकारी अधि0 थाना बढापुर जनपद बिजनौर

5. मु0अ0सं0 257/19 धारा 60 (1) आबकारी अधि0 थाना बढापुर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 98/20 धारा 60 (1) आबकारी अधि0 व 272 भादवि थाना रेहड जनपद बिजनौर
7. मु0अ0सं0 29/21 धारा 60 (2) आबकारी अधि0 थाना बढापुर जनपद बिजनौर
8. मु0अ0सं0 81/21 धारा 60 (2)/72 आबकारी अधि0 468 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर
9. मु0अ0सं0 32/22 धारा 60/72 आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
10. मु0अ0सं0 68/22 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
11. मु0अ0सं0 326/22 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
12. मु0अ0सं0 128/23 धारा 60 (1) आबकारी अधि0 थाना बढापुर जनपद बिजनौर
13. मु0अ0सं0 264/23 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर
14. मु0अ0सं0 29/24 धारा 60 (2) आबकारी अधि0 थाना बढापुर जनपद बिजनौर
15. मु0अ0सं0 54/24 धारा 60 (1) आबकारी अधि0 व 272 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. व0उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
3. हे0का0 430 कलीम हसन थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
4. हे0का0 428 रवि मलिक थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 21.02.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 09 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 09 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1.	मंडावर	सोनू पुत्र धीर सिंह निवासी दयालवाला थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2.	मंडावर	लोकेश पुत्र सुखवीर सिंह निवासी ग्राम कोहरपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर
3.	मंडावर	राजपाल उर्फ टिड्डे पुत्र रतन निवासी ग्राम तिमरपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर
4.	मंडावर	शीतल पुत्र सत्यवीर सिंह निवासी ग्राम तिमरपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर
5.	मंडावर	सुनील पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम तितरवाला थाना मंडावर जनपद बिजनौर
6.	किरतपुर	शिवम पुत्र अजय निवासी मौ० नवादा कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
7.	नूरपुर	महेन्द्र पुत्र सलेकचन्द निवासी मौ० इस्लामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
8.	कोतवाली देहात	जितेन्द्र कुमार पुत्र नथुआ सिंह निवासी ग्राम रहमापुर थाना कोतवाली देहात बिजनौर
9.	कोतवाली देहात	इदरीश पुत्र अजीज निवासी ग्राम अकबराबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर



थाना मंडावर



थाना किरतपुर



थाना नूरपुर



थाना कोतवाली देहात